

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प रावतखेडा

प्रकरण संख्या/671/2021

दिनांक :- 27-10-2021

उनवान

श्री फोकरलाल/ग्याहलाल मीणा  
कि रावतखेडा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

::: आदेश :::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज,  
पटवारी हल्का रावतखेडा भू अ. नि. ग्याहलाल एवं नायब तहसीलदार  
/तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रावतखेडा प. ह. रावतखेडा  
की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 209 में  
प्रार्थीगण की प्रविष्टि मोखर पुज ग्याहलाल मीणा  
के स्थान पर फोकरलाल पुज ग्याहलाल मीणा  
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश  
जारी किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत की जाये।

De  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, जहाजपुर जिला भीलवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करें।
2. प्रार्थी श्री फोकरलाल/ग्याहलाल मीणा कि रावतखेडा
3. रक्षित पत्रावली

De  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला भीलवाडा